<u>महत्वपूर्ण/प्राथमिकता</u>

<u>संख्या-3/2015/एन0जी0ओ0 01/84-2-2015-सीपी 16/2003</u>

प्रेषक,

बी0एम0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 22 जनवरी, 2015

विषय उपभोक्ता कल्याण कोष से स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की जांच कराकर आख्या एवं संस्तुति शासन को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता जागरूकता को और अधिक बढावा देने के उद्देश्य से शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-भा0स0 38/29-8-2005 सीपी 26/97, दिनांक 18.03.2005 द्वारा राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन किया गया है। इस कोष से समन्वय अभिकरण/स्वैच्छिक संगठनों को अधिकतम रूपये 02 लाख की धनराशि (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में) वित्तीय सहायता/अनुदान के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है। इस क्रम में शासन के पत्र संख्या-सीपी 1004/29-8-2006-सीपी 16/2003, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 द्वारा गठित जनपद स्तरीय कमेटी की, शासनादेश दिनांक 17.09.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में प्राप्त संस्तुति के आधार पर समन्वय अभिकरण/स्वैच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

2 इस सम्बन्ध में समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया था कि अब तक कतिपय जनपदों के स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु अनुदान की स्वीकृति जनपदों के जिलाधिकारियों की संस्तुति के दृष्टिगत प्रदान की गयी है। शेष अन्य जनपदों से या तो प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए अथवा जो प्राप्त हुए वे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं हैं। अतः समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित शासन के स्वतः स्पष्ट पूर्व पत्र संख्या-60/सीपी 668/84-2-2014-सीपी 16/2003, दिनांक 10 जुलाई, 2014 द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि उपभोक्ता कल्याण कोष से उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित वित्तीय सहायता@अनुदान दिये जाने के संबंध में स्वैच्छिक संगठनों@समन्वय अभिकरणों के जो भी प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, उनके संबंध में उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.10.2006 एवं दिनांक 17.09.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में शासनादेश दिनांक 30.11.2009 द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत जांच आदि की कार्यवाही पूर्ण कराकर जनपदीय कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त, मूल प्रस्ताव, अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति शासन को दिनांक 31 अक्टूबर,2014 तक अवश्य उपलब्ध कराया

.....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाना सुनिश्चित करें। शासन के उपर्युक्त पत्र के क्रम में पत्र संख्या-सीपी 1025/84-2-2014-सीपी 9/2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2014 एवं 71/एनजीओ 50/84-2-2014-सीपी 34/2006, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 तथा पत्र संख्या-2/2015/एनजीओ 55/84-2-2014-सीपी 34/2006, दिनांक 08 जनवरी, 2015 द्वारा स्मरण कराये जाने के बावजूद भी अभी तक नियमानुसार कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। शासन में जो भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, वे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं। जिलाधिकारियों से सम्यक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण उपभोक्ता जागरूकता के प्रचार-प्रसार के कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है।

3. अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता कल्याण कोष से उपभोक्ता जागरूकता से सम्बन्धित वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के जो भी प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, उनके सम्बन्ध में उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.10.2006, दिनांक 17.09.2008 एवं दिनांक 30.11.2009 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में समयान्तर्गत जांच आदि की कार्यवाही पूर्ण कराकर सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्ताव शासन को प्राथमिकता पर दिनांक 05.02.2015 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। आख्या में कृपया इस तथ्य का भी उल्लेख किया जाय कि संस्था ब्लैकलिस्टेड@प्रतिबंधित तो नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन में स्वैच्छिक संगठनों से सीधे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

बी0एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(2) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7 वाला कदर रोड, लखनऊ ।
(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।